झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 26 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्रा०-चेचरिया, पो०-मुरना, थाना-पाण्डु, मुड़माकलां, पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद–26/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.05.2023	परिवादी श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया पोस्ट–मुरमा, थाना–पांडू, मुड़मा कलां, जिला–पलामू का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर हुआ। परिवदी द्वारा बिना किसी सूचना के उनका राशन कार्ड सं0–202005021298 डिलीट किये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में ऑनलाईन शिकायत दर्ज की गई थी किन्तु इसका समाधान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा भूखमरी की स्थिति का हवाला देते हुए उनके शिकायत के निवारण का अनुरोध किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx107